संख्या-24/2017/1875/86-2017-57(सामान्य)/2017टीसी-1

प्रेषक,

राज प्रताप सिंह,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग **लखनऊ, दिनांक 14 अगस्त 2017**

विषयः प्रदेश में नदी तल में उपलब्ध बालू, मोरम, बजरी आदि के क्षेत्रों को ई-निविदा सह ई-नीलामी प्रणाली के माध्यम से परिहार पर स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि रिट याचिका संख्या-1498 वर्ष 2015 गुलाब चन्द्र मिश्र बनाम् उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 01.05.2017 के अनुक्रम में उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली-1963 के नियम 9क को विलोपित करते हुए नियमावली के 43वें संशोधन द्वारा अध्याय-4 में संशोधन कर ई-निविदा/ई-नीलामी/ई-निविदा सह ई-नीलामी के माध्यम से क्षेत्रों के परिहार पर दिए जाने का प्राविधान किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में नदी तल में उपलब्ध बालू, मोरम, बजरी आदि के रिक्त क्षेत्रों को उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली-1963 यथा संशोधित के अध्याय-4 के अन्तर्गत ई-निविदा सह ई-नीलामी (E-Tender cum E-Auction) प्रणाली के माध्यम से परिहार पर दिये जाने के सम्बन्ध में तत्काल प्रभाव से निम्न प्रक्रिया अपनायी जायेंगी:-

1. नदी तल स्थित उपखनिजों के रिक्त क्षेत्रों को खनिज की उपलब्धता, परिवहन मार्ग की स्थिति, क्षेत्र में पर्यावरण अनुकूलता तथा सुरक्षित खनन के दृष्टिगत अधिकतम 03 मी0 की गहराई अथवा जल स्तर, जो भी पहले हो, तक खनिज की मात्रा का आकलन करते हुए व्यवसायिक रूप से उपयुक्त खण्डों का निर्धारण किया जायेगा। निर्धारित खण्डों का क्षेत्रफल 05 हे0 से कम नही होगा। वैज्ञानिक ढंग से खनन हेतु उपयुक्त न होने की स्थिति में छोटे रिक्त खण्डों का निर्धारण किया जा सकता है परन्तु ऐसे निर्धारण के पूर्व युक्तियुक्त कारण अभिलिखित किया जायेगा। निर्धारित खण्डों के लिए वन विभाग की अनापत्ति अनिवार्य है।
2. ई-निविदा सह ई-नीलामी द्वारा नदी तल स्थित उपखनिजों के खनन पट्टा निश्चित अवधि 05 वर्ष के लिये स्वीकृत किये जायेगें। पट्टे की अवधि की गणना खनन पट्टा विलेख निष्पादन की तिथि से की जायेगी।
3. ई निविदा सह ई नीलामी की बिड/बोली उपखनिज की प्रतिघन मीटर के लिए दी जायेगी, जो उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली-1963 के अनुसूची-1 में निर्धारित रायल्टी की दर से कम नही होगी। इससे भिन्न बिड/ बोली दिये जाने पर बिड/ बोली स्वीकार नही की जायेगी तथा प्रीबिड अर्नेस्ट मनी जब्त कर ली जायेगी। प्राप्त उच्चतम बिड/ बोली की दर (रूपया प्रति घन मी0) को क्षेत्र में आंकलित मात्रा (घन मी0) से गुणा कर प्रथम वर्ष की नीलामी की देय धनराशि आगणित की जायेगी, जिसे पट्टा के अनुवर्ती वर्षो में प्रत्येक वर्ष पिछले वर्ष की नीलामी की धनराशि पर 10 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4. ई निविदा सह ई नीलामी दो चरणों में होगी। प्रथम चरण में ई निविदा सम्पन्न की जायेगी जिसके दौरान सभी बिडर्स को एक बार ई-निविदा (E-Tender) देने का मौका प्रदत्त होगा जो पुनरीक्षित (Revise) नही किया जा सकेगा। ई निविदा में प्राप्त उच्चतम निविदा को आधार मूल्य (Floor Price) मानते हुए द्वितीय चरण में ई-नीलामी कराया जायेगा, जिसके दौरान बिडर्स ई-नीलामी हेतु निर्धारित तिथि एवं अवधि में ई-बिड दे सकता है। ई-नीलामी के दौरान केवल उच्चतम बोली को ही प्रदर्शित किया जायेगा जिसको देखते हुए बिडर अपना बिड पुनरीक्षित कर बढा सकते है।
5. किसी क्षेत्र के ई निविदा सह ई नीलामी हेतु बिडर्स को बिड में भाग लेने से पूर्व प्री बिड अर्नेस्ट मनी जमा करना अनिवार्य होगा, जिसकी गणना क्षेत्र में वार्षिक आंकलित खनन योग्य मात्रा एवं उपखनिज की रायल्टी दर से गुणा कर प्राप्त धनराशि का 25 प्रतिशत होगा।
6. निर्धारित खण्डों में उपखनिज की खनन योग्य मात्रा एवं उस क्षेत्र के अर्नेस्ट मनी का निर्धारण उपरोक्त प्रस्तरों के अनुसार जिलाधिकारी द्वारा गठित समिति जिसमें अपर जिलाधिकारी, उपजिलाधिकारी/तहसीलदार तथा जिले में तैनात ज्येष्ठ खान अधिकारी/खान अधिकारी/खान निरीक्षक होंगे, द्वारा कराया जायेगा।
7. एम0एस0 टी0सी0 लि0 (भारत सरकार का उपक्रम) को सेवा प्रदाता के रूप में चयनित किया गया है, जिसके द्वारा राज्य सरकार की ओर से नीलामी की कार्यवाही सम्पादित की जायेगी। ई-निविदा सह ई-नीलामी द्वारा परिहार पर देने की सम्पूर्ण प्रक्रिया ऑनलाईन एम0एस0टी0सी0 के ई-ऑक्शन पोर्टल www.mstcecommerce.com पर की जायेगी।
8. इच्छुक आवेदकों के लिए ऑनलाईन बिड/बोली हेतु Class III Signing type डिजीटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (DSC) होना आवश्यक है। एम एस टी सी के उपरोक्त पोर्टल पर जाकर अर्ह आवेदक अपने पंजीकरण की कार्यवाही पूर्ण करने के पश्चात ही ई-निविदा सह ई-नीलामी में भाग ले सकेगें।
9. पंजीकृत आवेदक निर्धारित पोर्टल पर ऑनलाईन एक या एक से अधिक क्षेत्रों के लिए बिड में भाग ले सकेगा परन्तु उसे प्रत्येक क्षेत्र के लिए अलग अलग आवेदन शुल्क एवं प्रत्येक क्षेत्र हेतु निर्धारित अर्नेस्ट मनी जमा करना होगा। इच्छुक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी (आवेदक) ई-निविदा सह ई-नीलामी में भाग लेने के लिए सरकार के पक्ष में रू0-15,000 (रू0 पन्द्रह हजार) का आवेदन शुल्क एम0एस0टी0सी0 पेमेन्ट गेटवे के माध्यम से जमा करना होगा, जो अप्रतिदेय (Non Refundable) होगा।
10. ई निविदा सह ई नीलामी में भाग लेने हेतु इच्छुक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी को एम0एस0टी0सी0 में पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। पंजीकरण हेतु व्यक्ति/फर्म/कम्पनी को ई-ऑक्शन पोर्टल www.mstcecommerce.com पर उपलब्ध आनर्लाइन फार्म भरना पड़ेगा जिसके दौरान बिडर्स अपने लिए स्वयं जनित यूजर आई0डी0 एवं पासवर्ड बनायेंगे। इस आनलाईन पंजीयन के उपरान्त बिडर्स को एम0एस0टी0सी द्वारा भेजा गया सूचना ई मेल प्राप्त होगा, जिसके पश्चात् बिडर्स को आवश्यक अभिलेख स्कैन कर एम0एस0टी0सी0 को आनलाईन भेजना अनिवार्य होगा। साथ ही बिडर्स को वार्षिक पंजीकरण शुल्क जी.एस.टी. सहित रू0-1,180 (रू0 एक हजार एक सौ अस्सी मात्र) एम0एस0टी0सी0 पेमेन्ट गेटवे के माध्यम से आनलाईन देय होगा। अनिवार्य अभिलेख एवं वार्षिक पंजीकरण शुल्क की प्राप्ति के पश्चात् ही बिडर्स का लॉगिन आई0डी0, पासवर्ड एवं एकाउन्ट एम0एस0टी0सी0 के निर्धारित पोर्टल पर चालू (Activate) होगा।
11. पंजीकरण हेतु बिडर्स द्वारा **स्वप्रमाणित** निम्न अभिलेख/प्रमाण पत्र स्कैन कर एम0एस0टी0सी0 के पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा:-
    (1) आवेदक का आधार कार्ड की प्रति, फर्म की दशा में फर्म के भागीदारों के आधार कार्ड की प्रति तथा कम्पनी के मामलें में कारपोरेट अफेयर्स मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्गत कम्पनी के प्रबन्ध निदेशक का Director Identification Number (DIN) के प्रमाण-पत्र की प्रति।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(2) आवेदक का अद्यावधिक चरित्र प्रमाण पत्र, फर्म के मामले में भागीदारों के अद्यावधिक चरित्र प्रमाण पत्र की प्रति तथा कम्पनी के मामले में प्रबन्ध निदेशक का इस आशय का शपथ पत्र की कम्पनी को किसी अपराधिक वाद में दण्डित नही किया गया है। चरित्र प्रमाण पत्र उस जिले के जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त होगा, जहॉ आवेदक स्थायी रूप से निवास करता हों।

(3) आवेदक का पैन कार्ड की प्रति, फर्म या कम्पनी के मामले में उसका पैन कार्ड एवं जी0एस0टी0 नं0 की प्रति।

(4) बैंक खाते का विवरण, जिससे ई निविदा सह ई नीलामी से सम्बन्धित समस्त वित्तीय हस्तान्तरण किया जायेगा, यथा बैंक का नाम, खाता संख्या आई0एफ0एस0सी0 कोड, तथा एक निरस्त चेक की प्रति,

(5) जिलाधिकारी अथवा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया गया खनन देय बकाया न होने का प्रमाण पत्र। जहॉ आवेदक राज्य के भीतर कोई खनिज परिहार धारित नही करता है वहाॅ इस आशय का शपथ पत्र की प्रति।

12.एम0एस0टी0सी0 द्वारा केवल उन्ही व्यक्ति/फर्म/कम्पनी का पंजीकरण किया जायेगा जो उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली-1963 के प्रावधानों के अन्तर्गत अर्ह हो। नियम-26 के अनुसार निम्नलिखित व्यक्ति/फर्म /कम्पनी ई निविदा सह ई-नीलामी प्रक्रिया में भाग नही ले सकते हैः-

(1) जो भारतीय राष्ट्रिक नही है

(2) जिसके विरूद्ध खनिज देय बकाया है।

(3) जिसने उस जिले के जिलाधिकारी अथवा राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी जहां वह स्थायी रूप से निवास करता है से चरित्र प्रमाण पत्र प्राप्त नही कर लिया है। शर्त यह है कि उक्त चरित्र प्रमाण पत्र पुलिस सत्यापन के आधार पर दिया गया हो।

(4) जिसने अपना आधार कार्ड की प्रति प्रस्तुत न की हो।

(5) जिसका नाम काली सूची में दर्ज हो।

(6) फर्म/कम्पनी के मामलें में जिसने पैनकार्ड तथा जी0एस0टी0 पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत न किया हो।

13.रिक्त क्षेत्रों का विज्ञापन - खण्डों का निर्धारण एवं उसका मूल्यांकन होने के उपरान्त नियमावली-1963 के नियम-23 के प्रावधानों के अन्तर्गत तथा निम्न प्रक्रिया के अनुसार रिक्त क्षेत्रों का विज्ञापन एम0एस0टी0सी0 के वेब पोर्टल www.mstcecommerce.com, दैनिक समाचार पत्रों एवं विज्ञापन पट (नोटिस बोर्ड) पर प्रकाशित किया जायेगा।

(1) जिलाधिकारी द्वारा नियम 23(1) की घोषणा होने के उपरान्त क्षेत्रों को ई-निविदा सह ई-निलामी द्वारा पट्टे पर देने के लिए ई-निविदा के दिनांक से कम से कम 30 दिन पूर्व सार्वजनिक नोटिस (सूचना)/विज्ञप्ति प्रकाशित किया जायेगा। इसके साथ ही जिलाधिकारी द्वारा क्षेत्रों का सम्पूर्ण विवरण एम0एस0टी0सी0 को भी ईमेल से उपलब्ध कराया जायेगा ताकि क्षेत्रों की विज्ञप्ति एम0एस0टी0सी0 के पोर्टल पर किया जा सके। जिलाधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गये क्षेत्रों का विवरण एम0एस0टी0सी0 के पोर्टल पर डालने के बाद इसकी पुष्टि जिलाधिकारी द्वारा गठित समिति के दो सदस्यों द्वारा डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से किया जायेगा। डिजिटल सिग्नेचर से पुष्टि के उपरान्त ही क्षेत्रों का विवरण ई निविदा सह ई नीलामी हेतु एम0एस0टी0सी0 के वेब पोर्टल पर बिडर्स एवं सर्वसाधारण के लिए उपलब्ध होगा।

(2) विज्ञप्ति में क्षेत्रों का विवरण यथा ग्राम, गाटा सं0/खण्ड सं0, नदी का नाम क्षेत्रफल, क्षेत्र में आंकलित खनन योग्य मात्रा, उपखनिज की रायल्टी दर, क्षेत्र के लिए निर्धारित प्री बिड अर्नेस्ट

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

मनी, ई-निविदा डालने की तिथि व अवधि, ई-निविदा के उपरान्त ई-नीलामी का समय व दिनांक, ई-निविदा सह ई-नीलामी की प्रक्रिया, शर्तो का विवरण आदि का उल्लेख किया जायेगा।

(3) ऑनलाईन ई-निविदा डालने तथा ई-नीलामी बोलने की विधि का पूर्ण विवरण सेवा प्रदाता संस्था एम0एस0टी0सी0 के वेब पोर्टल **www.mstcecommerce.com** पर देखा जा सकता है।

(4) रिक्त क्षेत्रों की विज्ञप्ति एम0एस0टी0सी0 के पोर्टल पर प्रर्दशित की जायेगी इसके साथ ही स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराया जाये, जिससे कि किसी भी दशा में उक्त पोर्टल एवं समाचार पत्रों मे प्रकाशित विज्ञप्ति में कोई भी भिन्नता न हो। ई-निविदा सह ई-नीलामी की सार्वजनिक सूचना (नोटिस) निम्नानुसार प्रकाशित की जायेगी:-

क. नोटिस की प्रतियां जिलाधिकारी के कार्यालय के सूचना पट पर चिपकायी जायेंगी।

ख. नोटिस की एक प्रति एम0एस0टी0सी0 द्वारा निर्धारित पोर्टल, विभागीय वेबसाईट, राज्य सरकार के ई-टेण्डर/ई-ऑक्शन पोर्टल पर प्रदर्शित की जायेगी।

ग. सर्वसाधारण की सूचना के लिए नोटिस जिलें में प्रचलित कम से कम दो प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित की जायेगी।

(5) समाचार पत्रों में प्रकाशन के दिनांक से ही विज्ञप्ति की तिथि की गणना की जायेगी एवं यह सुनिश्चित किया जायेगा कि समाचार पत्रों में प्रकाशन के दिनांक से कम से कम 30 दिन पश्चात् ही ई-निविदा प्राप्त करने की तिथि निर्धारित की जायेगी। 30 दिन के पश्चात् आगामी 04 दिन तक ई-निविदा प्राप्त की जायेगी।

(6) ई-निविदा सह ई-नीलामी में भाग लेने के लिए इच्छुक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी को प्रत्येक क्षेत्र के लिए पृथक-पृथक रू0-15000 (रू0 पन्द्रह हजार मात्र) का शुल्क जो अप्रतिदेय होगा तथा अर्नेस्ट मनी जो विज्ञप्ति में क्षेत्र के नाम सम्मुख अंकित हो, जमा किया जाना होगा।

(7) सफल बोलीदाता/निविदादाता को छोड़कर शेष बोलीदाता/निविदादाता द्वारा जमा बयानें की धनराशि (अर्नेस्ट मनी) यथावत उसी बैंक खाते में वापस कर दी जायेगी जिस बैंक खाते से पैसा दिया गया था।

(8) जहां किसी भी कारण से ई-निविदा सह ई-नीलामी की प्रक्रिया पूरी न हो वहां कम से कम 07 दिन की अल्प अवधि की नोटिस देने के पश्चात् पुनः ई-निविदा सह ई-नीलामी की जा सकती है।

(9) अधिकतम पॉच खनन पट्टे या 400 हे0 से अधिक के क्षेत्र को, उ0प्र0 राज्य में किसी व्यक्ति/फर्म/कम्पनी के पक्ष में स्वीकृत नही किया जायेगा। यदि किन्ही परिस्थितियों में एक व्यक्ति/ फर्म/कम्पनी द्वारा अपने पक्ष में 05 खनन पट्टे या 400 हे0 से अधिक के खनन पट्टे स्वीकृत करा लिया जाता है, तो अन्त में स्वीकृत खनन पट्टे निरस्त कर पट्टा अन्तर्गत जमा सम्पूर्ण धनराशि जब्त कर ली जायेगी तथा केवल प्रारम्भ के पॉच क्षेत्र अथवा 400 हे0 के खनन पट्टे ही अनुमन्य होगें। परन्तु यदि आवेदक स्वयं अपने पक्ष में 05 खनन पट्टे या 400 हे0 से अधिक के खनन पट्टे हेतु जारी लेटर ऑफ इटेन्ट की सूचना देता है, तो उक्त सीमा के अन्तर्गत कोई भी खनन पट्टा क्षेत्र के चयन का उसे अधिकार होगा तथा शेष क्षेत्रों की जमा धनराशि पुष्टि के उपरान्त यथावत वापस कर दी जायेगी।

14. जिलाधिकारी द्वारा ई-निविदा सह ई-नीलामी की प्रक्रिया को सम्पादित करते हेतु निम्नानुसार निविदा समिति का गठन किया जायेगा:-

(1) जिलाधिकारी द्वारा नामित अपर जिलाधिकारी/प्रभारी अधिकारी खनन, (अध्यक्ष)

(2) जिलाधिकारी द्वारा नामित जिला स्तरीय वरिष्ठ अधिकारी, (सदस्य)

(3) जिले में तैनात ज्येष्ठ खान अधिकारी/खान अधिकारी/खान निरीक्षक, (सदस्य सचिव)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

जिलाधिकारी तथा समिति के सभी सदस्यों का डिजिटल सिग्नेचर (Class III Signing Cum Encryption) का होना आवश्यक है, यदि किसी सदस्य का उक्त डिजीटल सिग्नेचर नही है तो उसे तत्काल बनवा लिया जाय।

15. ई-निविदा सह ई-नीलामी की प्रक्रिया:-

(1) ई निविदा सह ई नीलामी दो चरणों में की जायेगी। प्रथम चरण में केवल ई निविदा विज्ञापन में निर्धारित तिथि एवं समय के अन्तगत डाली जायेगी। बिड/रायल्टी की दर प्रत्येक उपखनिज के लिए प्रतिघन मीटर के लिए दी जायेगी जो सम्बन्धित उपखनिज के लिए नियमावली-1963 के अनुसूची-1 में उल्लिखित रायल्टी की दर से कम नही होगा। द्वितीय चरण में ई निविदा में प्राप्त अधिकतम निविदा धनराशि को आधार मानकर ई नीलामी की बोली की न्यूनतम धनराशि निर्धारित होगी। प्रथम चरण के इच्छुक आवेदक उक्त न्यूनतम धनराशि के ऊपर विज्ञप्ति में प्रकाशित तिथि व समय के अनुसार आनलाईन बोली में भाग लेंगे।

(2) प्रथम चरण की समाप्ति के उपरान्त निम्नानुसार प्रक्रिया अपनायी जायेगी:-

(क) यदि प्रथम चरण में एक ही बिड प्राप्त होती है और उक्त बिड (ऑफर) में प्रतिघन मीटर दिया गया दर नियमावली-1963 के प्रथम अनुसूची में उस उपखनिज के लिए निर्धारित रायल्टी दर से 400 प्रतिशत से अधिक है तथा शेष शर्ते पूर्ण करता हो तो जिलाधिकारी द्वारा उस निविदादाता के पक्ष में लेटर आफ इन्टेंट जारी किया जायेगा।

(ख) यदि प्रथम चरण में केवल एक ही बिड प्राप्त होता है और उक्त बिड(आफर) में प्रतिघन मीटर में दिया गया दर नियमावली-1963 के प्रथम अनुसूची में उस उपखनिज के लिए निर्धारित रायल्टी दर से अधिक परन्तु 400 प्रतिशत से कम है तो जिलाधिकारी क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति, खनिज की उपलब्धता, खनिज की गुणवत्ता, उपखनिज का बाजार मूल्य, उस क्षेत्र में खनिज की मांग, क्षेत्र में अवैध खनन की सम्भावना, राजस्व की प्राप्ति आदि पर विचार करते हुए स्वविवेक से एकल निविदादाता के पक्ष में लेटर आफ इन्टेंट जारी करने अथवा न करने के सम्बन्ध में निर्णय लेंगे।

(ग) यदि प्रथम चरण में एक से अधिक परन्तु पॉच या पॉच से कम बिड प्राप्त होता है, तो सभी बिड कर्ता द्वितीय चरण की ई-नीलामी की प्रक्रिया में भाग लेने हेतु अर्ह होगें तथा द्वितीय चरण के अधिकतम बोलीदाता के पक्ष में जिलाधिकारी द्वारा लेटर आफ इन्टेंट जारी किया जायेगा।

(घ) यदि पॉच से अधिक बिड/आफर प्राप्त होते है तब केवल पॉच सर्वाधिक निविदाकार ही द्वितीय चरण की ई नीलामी में भाग लेने हेतु अर्ह होंगे तथा द्वितीय चरण के अधिकतम बोलीदाता के पक्ष में ही जिलाधिकारी द्वारा लेटर आफ इन्टेंट जारी किया जायेगा।

(3) उपरोक्त प्रस्तर-15(2)(ग),(घ) के अनुसार प्रथम चरण के याग्य बोलीदाता द्वितीय चरण की नीलामी में भाग ले सकते है।

(4) द्वितीय चरण में ई नीलामी की प्रक्रिया की जायेगी। ई नीलामी की प्रक्रिया प्रथम चरण की अग्रसारित प्रक्रिया होगी, जिसमें प्रथम चरण में प्राप्त उच्चतम बिड/आफर द्वितीय चरण की ई नीलामी के लिए न्यूनतम बोली (Floor Price) स्वतः निर्धारित हो जायेगी।

(5) द्वितीय चरण की नीलामी की प्रक्रिया में नीलामी की निर्धारित अवधि के भीतर इच्छुक एवं अर्ह व्यक्ति/ फर्म/कम्पनी बोली में कई बार भाग ले सकता है। नीलामी की ऑनलाइन

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

प्रक्रिया में स्क्रीन पर अधिकतम बोली प्रदर्शित होती रहेगी और प्रदर्शित बोली से अधिक बोली ऑनलाइन ही दिया जा सकता है।

(6) निर्धारित समय के पश्चात् बोली बन्द हो जायेगी और उसके उपरान्त कोई बोली नही दिया जा सकता है। बोली के अन्तिम समय मंे यदि कोई और बोली प्राप्त होती है तो नीलामी की बोली का समय स्वतः 05 मिनट के लिए बढ़ जायेगा। यह प्रक्रिया तब तक जारी रहेगी जब तक 05 मिनट के अन्तराल में कोई और बोली प्राप्त नही होती है।

(7) ई निविदा सह ई नीलामी की कालयोजना एवं अवधि निम्नानुसार सम्पादित की जायेगी:-

प्रेस विज्ञप्ति (विज्ञप्ति का प्रकाशन)	प्रथम दिन
प्रथम चरण ई निविदा (ई टेण्डर) की अवधि	31वें दिन (पूर्वाह्न 10.00 बजे) से 34वें दिन (सांय 05.00 बजे) तक
प्रथम चरण में प्राप्त ई-निविदा(बिड) का खोला जाना एवं उसका मूल्यांकन	35वें दिन से 36वें दिन तक
द्वितीय चरण ई नीलामी की अवधि	37वें अथवा उसके बाद के दिन जैसा जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित किया जायेगा। (पूर्वाह्न 10.00 बजे से अपराह्न 01.00 बजे तक) अथवा (अपराह्न 02.00 बजे से सायं 05.00 बजे तक)

(8) परिणाम की घोषणा एवं उसका प्रदर्शन:

क. प्रथम चरण की निविदा प्रक्रिया का परिणाम निविदाकार (Tenderer) के लॉगिन पर प्रदर्शित होगा। प्रथम चरण के निविदा प्रक्रिया के समापन के पश्चात् अधिकतम निविदा धनराशि (बिडिंग एमाउन्ट) प्रदर्शित की जायेगी। सभी निविदाकार द्वितीय चरण की बोली हेतु वे योग्य है अथवा नही को भी लॉगिन कर जान सकते है।

ख. एकल निविदा के मामलो को छोड़कर शेष मामलों में द्वितीय चरण की नीलामी समाप्त होने के उपरान्त प्राप्त अधिकतम बोली उसके बोलीदाता का विवरण एम0एस0टी0सी0 के निर्धारित पोर्टल पर प्रदर्शित किया जायेगा।

16. **पट्टे का दिया जाना:** नियमावली के नियम-28 के प्रावधानों के अनुसार ई-निविदा सह ई नीलामी के मामलें में उस बोली या प्रस्ताव को प्रस्तर-15(2) मे दिये गये प्रक्रिया के अनुसार जिलाधिकारी स्वीकार करेंगे जो उच्चतम हो। जिलाधिकारी द्वारा सफल एवं नियमानुसार अर्ह बोलीदाता /निविदादाता को उनके द्वारा प्रस्तुत मूल अभिलेख के सत्यापन के एक सप्ताह के अन्दर लेटर आफ इन्टेंट निर्गत किया जायेगा।

17. ई-नीलामी समाप्त होने के पश्चात 03 कार्य दिवस के अन्दर सफल बोलीदाता को अपने मूल अभिलेख का सत्यापन उस जनपद के जिलाधिकारी जहॉ क्षेत्र स्थित है, के द्वारा अथवा निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, निदेशालय के द्वारा कराना होगा। निदेशक द्वारा मूल अभिलेख की सत्यापन की स्थिति में अभिलेख सत्यापन की आख्या ई-मेल के माध्यम से संबंधित जिलाधिकारी को प्रेषित की जायेगी। अभिलेख सत्यापन के पश्चात ही जिलाधिकारी द्वारा लेटर आफ इन्टेंट जारी किया जायेगा। सत्यापन में यदि कोई अभिलेख अथवा प्रमाण पत्र कूटरचित, असत्य अथवा गलत पाया जाता है तो लेटर आफ इन्टेंट जारी नही किया जायेगा तथा बयाने की धनराशि (अर्नेस्ट मनी) जब्त कर ली जायेगी।

18. **लेटर आफ इन्टेंट में निम्न विवरण होंगे:-**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(1) प्रथम वर्ष के लिए देय नीलामी धनराशि की गणना पट्टा क्षेत्र के लिए विज्ञप्ति में आकलित मात्रा घन मी0 को निविदा/नीलामी की दर रूपया घन प्रति मी0 से गुणा कर निकाली जायेगी। खनन पट्टा के अनुवर्ती वर्षो में प्रत्येक वर्ष पिछले वर्ष की नीलामी की धनराशि पर 10 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी।

(2) सफल बोलीदाता/निविदादाता, पट्टे की निर्बन्धनों और शर्तो का यथोचित पालन करने के लिए प्रतिभूति के रूप में प्रथम वर्ष के लिए बोली/निविदा की सकल धनराशि का 25 प्रतिशत और स्वामित्व की पहली किश्त के रूप में प्रथम वर्ष के लिए बोली/निविदा की सकल धनराशि का 25 प्रतिशत दो कार्यदिवसों के अन्दर जमा करेगा। बयाने की धनराशि (अर्नेस्ट मनी) प्रथम किश्त में समायोजित कर ली जायेगी।

(3) पट्टे के प्रथम वर्ष की शेष किश्ते एवं अनुवर्ती वर्षो में बोली/निविदा के आधार पर प्रथम वर्ष के लिए निर्धारित सकल धनराशि पर प्रत्येक वर्ष विगत वर्ष से 10 प्रतिशत वृद्धि के साथ नियमावली-1963 के चतुर्थ अनुसूची (छाया प्रति संलग्न) के अनुसार जमा की जायेगी।

(4) पट्टाधारक नियम-17 के प्रावधानों के अनुसार क्षेत्र का सीमांकन कराया जायेगा तथा नियम-35 के अनुसार सीमा स्तम्भ लगायेगा एवं इसका अनुरक्षण करेगा।

(5) चयनित आवेदक नियम-34 के प्राविधानों के अन्तगत निर्धारित अवधि के अन्दर खनन योजना, माइन्स क्लोजर प्लान एवं भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 सपठित अधिसूचना दिनांक 15.01.2016 तथा समय-समय पर यथा संशोधित उपबन्धों के अधीन पर्यावरण अनापत्ति प्राप्त कर उसे प्रस्तुत करेगा।

(6) प्रत्येक पट्टाधारक द्वारा नियम-34 के अनुसार क्षेत्र के भूमि उद्धार और पुर्नवासन उपाय हेतु वित्तीय आश्वासन की धनराशि निर्धारित रीति से जमा करेगा।

(7) लेटर आफ इन्टेंट जारी होने के एक माह के अन्दर अनुमोदन हेतु खनन योजना निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा तथा अनुमोदित खनन योजना प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर सक्षम प्राधिकरण के समक्ष पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

19. **सफल बोलीदाता/निविदादाता द्वारा धनराशि जमा करने की रीति:**

(1) स्वीकृत पट्टे की अवधि 05 वर्ष होगी, परन्तु बोली/निविदा की धनराशि प्रथम वर्ष के लिए मानी जायेगी। प्रत्येक अनुवर्ती वर्ष में पिछले वर्ष से 10 प्रतिशत वृद्धि के साथ आगामी वर्ष में पट्टा धनराशि देय होगी। प्रथम वर्ष एवं अनुवर्ती वर्षो के लिए पट्टा धनराशि नियमावली-1963 के चतुर्थ अनुसूची के अनुसार पट्टाधारक द्वारा जमा की जायेगी।

(2) लेटर आफ इन्टेंट प्राप्त होने के उपरान्त सफल बोलीदाता/निविदादाता द्वारा 25 प्रतिशत प्रतिभूति जमा एवं 25 प्रतिशत प्रथम किस्त अर्थात पट्टे के प्रथम वर्ष के लिए निर्धारित पट्टा धनराशि का 50 प्रतिशत के समतुल्य धनराशि एम0एस0टी0सी0 के ई पेमेन्ट गेट वे पर आर0टी0जी0एस0/एन0ई0एफ0टी0 द्वारा लेटर आफ इन्टेंट जारी होने के दो कार्य दिवसों के अन्दर जमा किया जाना होगा। उक्त धनराशि जमा करने से पूर्व सफल निविदादाता/बोलीदाता द्वारा जमा प्री बिड अर्नेस्ट मनी समायोजित कर ली जायेगी। यदि सफल बोलीदाता /निविदादाता उक्त धनराशि जमा करने में असफल होता है तो उसके द्वारा जमा अर्नेस्ट मनी जब्त कर ली जायेगी और उसके द्वारा इस सम्बन्ध में कोई शिकायत अथवा प्रत्यावेदन विचार योग्य नही होगा।

(3) प्रथम वर्ष के लिए शेष 75 प्रतिशत पट्टा धनराशि एवं आगामी वर्षो के लिए पट्टा धनराशि नियमावली में निर्धारित चतुर्थ अनुसूची के अनुसार राज्य सरकार द्वारा समय समय पर

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पट्टाधारक द्वारा जमा की जायेगी। उक्त अनुसूची में नियत तिथि के अनुसार देय धनराशि जमा न करने की दशा में नियम-59 के अनुसार देय धनराशि ब्याज सहित वसूल की जायेगी।

(4) पट्टाधारक द्वारा राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित कर एवं शुल्क यथा आयकर विभाग का टी0सी0एस0, जिला खनिज फाउण्डेशन (डी0एम0एफ0), आदि नियमानुसार जमा किया जायेगा।

20. **शर्तें:- विज्ञप्ति में निम्न शर्तें दी जायेंगी:-**

(1) ई निविदा सह ई नीलामी में भाग लेने से पूर्व क्षेत्र में आंकलित उपखनिज की मात्रा एवं खनन स्थल के लिए पहुँच मार्ग आदि के सम्बन्ध में मौके का निरीक्षण कर बिडर स्वयं आश्वस्त हो ले। ई निविदा सह ई नीलामी में भाग लेने के पश्चात् इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का दावा स्वीकार नही किया जायेगा।

(2) पट्टाधारक पट्टे के अधीन दिये गये क्षेत्र के सर्वेक्षण और सीमांकन के समय सीमांकित मानचित्र पर खनन पट्टा क्षेत्र का कार्डिनेट्स अंकित करेगा तथा पट्टा विलेख निष्पादन करने के पूर्व पट्टाधारक अपने स्वयं के व्यय पर ऐसे सीमा चिन्ह को और खम्बे को लगायेगा जो पट्टा विलेख से संलग्न नक्शे में दर्शायें गये सीमांकन को इंगित करने के लिए आवश्यक होगा।

(3) पट्टा अभिलेख के निष्पादन के दिनांक से छः माह के भीतर खनन संक्रियायें प्रारम्भ करेगा और तत्पश्चात् जान बूझकर कोई स्थगन किये बिना ऐसी खनन संक्रियाओं का संचालन उचित और दक्षतापूर्ण रीति से कुशल कारीगर की भाति करेगा।

(4) पट्टा धारक नियम-35 के अनुसार वाहनों के प्रवेश व निकासी पर निगरानी के लिए स्वयं के व्यय पर 360 डिग्री कोण पर दृश्यता रिकार्डिंग के योग्य चार सी0सी0टी0वी0 कैमरा लगाने सहित चेक पोस्ट/गेट का निर्माण करेगा। पट्टाधारक उक्त चेक पोस्ट/गेट पर आर0एफ0आई0डी0 स्कैनर भी रखेगा, जिससे संबंधित खनन पट्टा क्षेत्र से उपखनिजों के परिवहन हेतु प्रयुक्त प्रत्येक यान के सापेक्ष निर्गत किये गये ई-प्रपत्र एम0एम0-11 पर अंकित बार कोड का डाटा पढ़ने और सुरक्षित रखने की सुविधा होगी और उसका समुचित रूप से रख रखाव करेगा एवं सदैव उसे चालू रूप में अनुरक्षित रखेगा। पट्टाधारक उक्त सी0सी0टी0वी कैमरे और आर0एफ0आई0डी0 स्कैनरों द्वारा की गयी समस्त रिकार्डिंग को कम से कम 30 दिनों तक सुरक्षित रखेगा और नियम-66 के उपबन्धों के अधीन प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा रिकार्ड मांगे जाने पर उक्त रिकार्डिंग को उपलब्ध करायेगा।

(5) पट्टाधारक प्रत्येक वाहन को ई-एम0एम0-11 सही विवरण सहित जारी करेगा। प्रत्येक वाहनों को निर्गत ई-एम0एम0-11 पर जनित बार कोड को चेक गेट पर पढ़ने तथा दर्ज डाटा सेव करने के लिए आर0एफ0आई0डी0 स्कैनर लगायेगा तथा सदैव उसका अनुरक्षण करेगा और उन्हे सही एवं चालू दशा में रखेगा। उक्त का अनुपालन न करने की दशा में नियमावली-1963 के नियम-59 के अन्तर्गत शास्ति का भागीदार होगा।

(6) पट्टेदार 03 मीटर की गहराई अथवा जलस्तर में से जो कम हो, से अधिक गहराई में खनन संक्रियायें नही करेगा।

(7) जिलाधिकारी द्वारा चिन्हित सुरक्षा क्षेत्र में खनन नही किया जायेगा।

(8) नदी की जल धारा में सक्शन मशीन, लिफ्टर आदि मशीनों द्वारा खनन कार्य नही किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(9) स्वीकृत क्षेत्र के अन्दर जहॉ परिवहन प्रपत्र निर्गत किया जायेगा, वहॉ पर खनिजों का विक्रय मूल्य प्रदर्शित करेगा।

(10) यदि पट्टाधारक द्वारा नियमों व खनन पट्टा, पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र, खनन योजना आदि की शर्तो का उल्लंघन किया जाता है तो पट्टेदार को अपना मामला बतानें की युक्ति युक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात् जिलाधिकारी अथवा राज्य सरकार द्वारा पट्टा समाप्त किया जा सकता है।

(11) मा0 उच्च न्यायालय, मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण अथवा मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों का पालन किया जायेगा।

(12) नियमों एवं शर्तो के उल्लंघन के परिणामस्वरूप यदि कोई वाद अथवा अपराधिक प्रक्रिया योजित होती है तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी पट्टाधारक की होगी एवं यदि इस सम्बन्ध में कोई व्यय होता है तो उसका वहन पट्टाधारक द्वारा किया जायेगा।

(13) राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा यदि नियमों/अधिनियमों में कोई संशोधन होता है अथवा कोई शर्त अथवा विधि प्रख्यापित की जाती है तो वह पट्टाधारकों को मान्य होगा।

(14) स्थानीय स्थिति तथा परिवेश को ध्यान में रखते हुए अन्य शर्ते जो जिलाधिकारी द्वारा उचित समझी जाये।

अतः उपरोक्तानुसार ई निविदा सह ई नीलामी के माध्यम से क्षेत्रों का व्यवस्थित करने की कार्यवाही शीघ्रताशीघ्र सम्पादित कर ली जाये।

<u>संलग्नक-</u>(1) नियमावली, 1963 की चतुर्थ अनुसूची।

(2) विज्ञप्ति का प्रारूप।

भवदीय,

राज प्रताप सिंह

अपर मुख्य सचिव

<u>संख्या- 1875(1)/86-2017-तद्दिनांक</u>

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रमुख सचिव, वन विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. प्रमुख सचिव, पर्यावरण विभाग उ0प्र0 शासन।
3. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
4. महाप्रबंधक (बी0ओ0) एम0एस0टी0सी0 लि0 लीलावती बिल्डिंग द्वितीय तल, 69 अरमेनियम स्ट्रीट, चेन्नई।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आत्मा राम)

संयुक्त सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in